

राजस्थान सरकार

कार्यालय कोषाधिकारी, सिरोही

क्रमांक / कोष / पेंशन / 2016-17 /

दिनांक :-

श्रीमान् शासन उप सचिव,
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-6) विभाग,
जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सैनानी पेंशन नियम 1959 के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता की सूचना बाबत।

प्रसंग:- आपके पत्रांक / प.1(1) / सा.प्र. / 6 / 2016 दिनांक 02.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम 1959 के तहत स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जिले से वर्तमान में स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त स्वतंत्रता सैनानियों एवं उनके आश्रितों की सूचना निम्न प्रारूप में प्रेषित है:-

स्वतंत्रता सैनानी पेंशनर्स की सूचना

क्र.सं.	स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्राप्तकर्ता का नाम	विशेष विवरण
1	-	-

स्वतंत्रता सैनानी आश्रित पेंशनर्स की सूचना

क्र.सं.	स्वतंत्रता सैनानी आश्रित पेंशन प्राप्तकर्ता का नाम	स्वतंत्रता सैनानी का नाम जिसके आश्रित के रूप में पेंशन प्राप्त की जा रही है।	पेंशन प्राप्तकर्ता का स्वतंत्रता सैनानी से संबंध।
1	श्रीमती सजना देवी	बाबूलाल राजगुरु	पत्नि
2	श्रीमती रेशम देवी	रूपचंद जैन	पत्नि
3	श्रीमती गंगा बाई	ताराचंद पुरोहित	पत्नि

क्रमांक / कोष / पेंशन / 2016-17 / 1847

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, सिरोही। ;

2. श्रीमान् डी.आई.ओ., डी.आई.सी. सिरोही को देकर लेख है कि उक्त सूचना जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध करावे।

कोषाधिकारी, सिरोही

दिनांक :- 12-01-2017

कोषाधिकारी, सिरोही